

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2022/204 बअनवान पूनमसिंह वगैरा बनाम हडमतसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|-------------|---|---|
| 05 05 25 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी पर वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी एवं वकील अप्रार्थी श्री भंवरलाल वैष्णव की बहस सुनी गई। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि ग्राम सोकडा के खसरा नंबर 535 रकबा 2.64 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस भूमि के वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना ज्ञात है। जिससे प्रार्थीगण के चाहे अनुतोष अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि बाबत प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> | |



सहायक कलक्टर एवं फटेने
सहायक कलक्टर एवं फटेने
उपखण्ड अधिकारी, बाली
जापुरी जिला, राज.